रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 384] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 2015/अग्रहायण 13, 1937
No. 384] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 2015/AGRAHAYANA 13, 1937

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2015

सं. एल–2/2(2)/2011–स्था/के.वि.वि.आ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 91 के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण तथा सेवा शर्तें) विनियम, 2007 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. **सक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :**

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण तथा सेवा शर्तें) (द्वित्तीय संशोधन) विनियम, 2015 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **मूल विनियम के परिशिष्ट– I में संशोधन (अन्यत्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर/अल्प अनुबंध द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए शैक्षिक अर्हता, अनुभव तथा अर्हक सेवा)**

(i) परिशिष्ट–I के क्रम संख्या 12 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगाः

क्र.स.	पद	वेतन मान	न्यूनतम शैक्षिक अर्हता	अनुभव की प्रकृति	अर्हक सेवा
12(क)	उप प्रमुख (विधि)	`12,000—375—18,000 (पुनरीक्षित पूर्व) पुनरीक्षित वेतनमान पीबी:3 ` 15,600—39,100 + ` 7,600 का ग्रेड पे	विधि में स्नातक, विनियमों में विशेषज्ञता/ विधि में स्नातकोत्तर को वरीयता दी जाएगी	न्यायिक/अर्ध न्यायिक/विधिक मामले जिसमें कार्यवाहियां, याचिकाएं, तथा विधिक मामलों को सूचीबद्ध करना आदि भी सम्मिलित है	**ऐसे अधिकारी :** i) जिन्होंने नियमित आधार पर समरूप पद धारण किए हों; या ii) जिन्होंने ` 10,000—15,200 (पूर्व पुनरीक्षित) (पुनरीक्षित पीबीः 3, `15,600—39,100+ जीपी ` 6,600/—) या इसके समतुल्य के वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो। iii) जिन्होंने ` 8,000—13,500 (पुनरीक्षित पूर्व) (पुनरीक्षित पे बैंड ` 15,600—39,100 + ` 5,400/— का ग्रेड पे) या इसके समतुल्य के वेतनमान में 7 वर्ष की नियमित सेवा की है।

(ii) परिशिष्ट—I के क्रम संख्या 19 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगाः

क्र.स.	पद	वेतन मान	न्यूनतम शैक्षिक अर्हता	अनुभव की प्रकृति	अर्हक सेवा
19 (क)	सहायक प्रमुख (विधि)	` 10,000—325—15,200 (पुनरीक्षित पूर्व) पुनरीक्षित वेतनमान पीबीः 3, `15,600—39,100 + `6,600/— का ग्रेड पे	विधि में स्नातक, विनियमों में विशेषज्ञता/ विधि में स्नातकोत्तर को वरीयता दी जाएगी	न्यायिक/अर्ध न्यायिक/विधिक मामले जिसमें कार्यवाहियां, याचिकाएं, तथा विधिक मामलों को सूचीबद्ध करना आदि भी सम्मिलित है	**ऐसे अधिकारी :** i) जिन्होंने नियमित आधार पर समरूप पद धारण किए हों; या ii) जिन्होंने `8,000—13,500 (पुनरीक्षित पूर्व) (पुनरीक्षित वेतनमान पीबी—3 ` 15,600—39,100 + ` 5,400/— का ग्रेड पे) या इसके समतुल्य के वेतनमान में चार वर्ष की नियमित सेवा की है; या iii) जिन्होंने `7,500—12,000 (पुनरीक्षित पूर्व) और 7,450—11,500 (पुनरीक्षित पूर्व) (पुनरीक्षित पे बैंड पीबी:2, `9,300—34,800/— + ` 4,800/— का ग्रेड पे) या इसके समतुल्य के वेतनमान में 5 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा

					सहित की है; या iv) जिन्होंने `6,500—10,500 (पुनरीक्षित पूर्व) (पुनरीक्षित पे बैंड पीबी—2 ` 9,300—34,800 + ` 4,600/— का ग्रेड पे) या इसके समतुल्य के वेतनमान में 6 वर्ष की नियमित सेवा की है।

शुभा शर्मा, सचिव

[विज्ञापन—III/4/असा./150/15(271)]

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 156 तारीख 31 जुलाई, 2007 को प्रकाशित किए गए थे।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2015

No. 2/2(2)/2011-Estt./CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 read with Section 91 of the Electricity Act, 2003, the Central Electricity Regulatory Commission with the approval of the Central Government hereby makes the following Regulations, to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) Regulations, 2007 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:

1. Short title and commencement:

(1) These Regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) (Second Amendment) Regulations, 2015.

(2) These Regulations shall come into effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Appendix-I to the Principal Regulations (Educational Qualification, Experience and Qualifying Service for staff on deputation on Foreign Service terms/short-term contract)

(i) After S.No.12 of the Appendix-I, the following shall be inserted :

S. No.	Post	Scale of Pay	Minimum Educational Qualification	Nature of Experience	Qualifying Service
12(A)	Deputy Chief (Legal)	`12,000-375-18,000 (Pre-revised) (Revised to PB:3 `15,600-39,100 Plus `7,600/- Grade Pay	Degree in Law, preferably with specialisation in Regulations / Master Degree in Law	Judicial /Quasi-Judicial/ Legal matters including proceedings, petitions, pleadings, listing of case laws etc.	Officers : i) Holding analogous posts on regular basis; **or** ii) With three years regular service in the scale of `10,000-15,200 (pre - revised) (Revised Pay Band PB-3: ` 15600-39100 + Grade Pay `6600/) **or** equivalent; **or**

					iii) With seven years regular Service in the scale of `8,000-13,500 (pre-revised) (Revised Pay Band) `15,600-39,100 + Grade Pay ` 5,400/) or equivalent.

(ii) After Sl.No.19, of the Appendix-I, the following shall be inserted :

Sl. No.	Post	Scale of Pay	Minimum Educational Qualification	Nature of Experience	Qualifying Service
19 (A)	Assistant Chief (Legal)	`10,000-325-15,200(Pre-revised) Revised to PB:3 `.15,600-39,100 Plus `.6,600/- Grade Pay	Degree in Law, preferably with specialisation in Regulations/ Master Degree in Law	Judicial /Quasi-Judicial/ Legal matters including proceedings, petitions, pleadings, listing of case laws etc.	Officers:- i) Holding analogous post on regular basis; **or** ii) With four years regular service in the scale of ` 8,000-13,500 (Pre-revised) (Revised scale PB-3: ` 15,600-39,100 + GP `5400) or equivalent; **or** iii) With five years combined regular service in the scale of `7,500-12,000 (Pre-revised) and 7,450-11,500 (Pre-revised) (Revised Pay Band PB-2: ` 9,300-3,4800 + GP `. 4,800) or equivalent; **or** iv) With six years regular service in the scale of ` 6,500-10,500 (Pre-revised) (Revised Pay Band PB-2: ` 9,300-34,800 + GP ` 4,600) **or** equivalent.

SHUBHA SARMA, Secy.

[ADVT-III/4/Exty./150/15(271)]

Note : Principal Regulations were published on 31st July, 2007 in Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, No.156.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.